



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 71-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 26, 2019 (VAISAKHA 6, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अप्रैल, 2019

संख्या 57/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान करने वाले या हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 32/जीएसटी-2, दिनांक 08 मार्च, 2019 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त अधिसूचना कहा गया है) के लाभ प्राप्त करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो विवरणी देने और कर का भुगतान करने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. उक्त व्यक्ति, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** में स्वतः निर्धारित कर भुगतान के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग, जैसी भी स्थिति हो, के लिए ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास के अठारहवें दिन तक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

3. उक्त व्यक्ति, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-4** में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विवरणी, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगामी अप्रैल के तीसवें दिन को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेंगे ।

4. उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त करते हुए कर का भुगतान करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में, ऐसी अवधि, जिसके लिए उन्होंने उक्त लाभ प्राप्त किया है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 37 और धारा 39 के उपबंधों का अनुपालन किया है यदि उन्होंने उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में यथा उपबंधित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** और **प्ररूप जीएसटीआर-4** प्रस्तुत कर दिया है ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 26th April, 2019

No. 57/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of section 10 of the said Act or by availing the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 32/GST-2, dated the 8th March, 2019, (hereinafter called the said notification) as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing of return and payment of tax.

2. The said persons shall furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 18th day of the month succeeding such quarter.

3. The said persons shall furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, on or before the 30th day of April following the end of such financial year.

4. The registered persons paying tax by availing the benefit of the said notification, in respect of the period for which he has availed the said benefit, shall be deemed to have complied with the provisions of section 37 and section 39 of the said Act if they have furnished **FORM GST CMP-08** and **FORM GSTR-4** as provided in para 2 and para 3 above.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.